



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स्था०/2021/16786

दिनांक: 31 मई, 2021

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/अधिष्ठाता

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान

विषय: डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध स्वपोषित अभियंत्रण संस्थाओं एवं पालीटेक्निक के शिक्षको एवं अन्य स्टाफ का सम्पूर्ण वेतन का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-1/66272/2021-16-1099/26/2021-1 दिनांक 20.05.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासन के पत्र दिनांक 20.05.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय/परिषद से सम्बद्ध स्वपोषित तकनीकी संस्थाओं एवं पालीटेक्निकों द्वारा छात्र/छात्राओं से सम्पूर्ण शुल्क लिया गया है उनके शिक्षको एवं अन्य स्टाफ को सम्पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

अतः कृपया शासन के उक्त निर्देशानुसार कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(नन्द लाल सिंह)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक 20.05.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(नन्द लाल सिंह)

कुलसचिव

शीर्ष प्राव्यक्तिता

संख्या: 66272/21/16-1099/26/2021

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी

विशेष सचिव,

उ०प० शासन।

सेवा में,

1- कुलपति, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प०, कातपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2021

विषय:- डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय / प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध स्वपोषित अभियंत्रण संस्थाओं एवं पालीटेक्निकों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ का सम्पूर्ण वेतन का भुगतान किये जाने का सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में संचालित कतिपय स्वपोषित प्राविधिक संस्थाओं/पालीटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सम्पूर्ण फीस ली गयी है। किन्तु उन संस्थाओं के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से यह सुनिश्चित करने का कष्ट करे कि विश्वविद्यालय/परिषद से सम्बद्ध जिन स्वपोषित तकनीकी संस्थाओं एवं पालीटेक्निकों द्वारा छात्र/छात्राओं से सम्पूर्ण शुल्क लिया गया है उनके शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को सम्पूर्ण वेतन का भुगतान करा जाना सुनिश्चित करे।

Digitally signed by सुनील

कुमार चौधरी

Date: Thu May 20 16:14:44 IST

2021 सुनील कुमार चौधरी)

Reason: विशेष प्राव्यक्तिता

भवदीय,

Dy. R.K./A.R.Sun
4483
21/5/21

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प० शासन।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प० शासन।
3. कुलसचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० लखनऊ।
5. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3, उ०प० शासन।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से.

(सुनील कुमार चौधरी)

विशेष सचिव।

श्री एच. पी. वर्मा
22/05/21